1. Folra-O-Foods, Jaipur –

संबंधित की ओर से श्री कुनाल बैठक में उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा दिये गये पत्र में उठाये गये बिंदुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –
(1) निविदा के परिशिष्ठ 1 पृष्ठ 6 एवं परिशिष्ट 2 पृष्ठ 16 का उल्लेख करते हुये अवगत कराया गया कि दिये गये विवरण से निविदाकर्ता यह समझते है कि निविदाकार दी गई रेसीपी के अनुसार प्लांट की डिजाइन करने हेतु स्वतंत्र है ।

निर्णय – सहमत ।

(2) परिशिष्ट 8 के बिंदु क्रमांक 4 में जिस अधिकृत व्यक्ति द्वारा निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसकी Registered Power of Attorny की मांग की गई है, जबकि क्या Notorised Power of Attorny को मान्य किया जा सकता है, के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया है ।

निर्णय – Notorised Power of Attorny भी मान्य की जा सकती है ।

(3) क्या निविदाकार क्लिनिंग लाईन को इस प्रकार बनाये कि ग्रैविटी का उपयोग किया जा सके ।

निर्णय – जी हॉ ।

(4) Pneumatic conveyors तैयार सामग्री को लिफ्ट करने के लिये उपयोग करने का उल्लेख है । उनका कहना है कि सामग्री में तेल होने के कारण कुछ समय पश्चात उसमें कठिनाई आ सकती है । उनके द्वारा सलाह दी गई कि इसमें एलिवेटर का उपयोग किया जा सकता है ।

निर्णय – Pneumatic conveyors ही उपयोग में लाये जायेंगे ।

(5) विभाग successful bidder का चयन किस प्रकार करेगा क्योंकि सभी बिडर्स के डिजाइन्स एवं लेआउट अलग–अलग प्रकार के होंगे ।

निर्णय – निविदा के परिशिष्ट 6 के बिंदु क्रमांक 1 में स्पष्ट किया गया है कि डिजाइन एवं लेआउट को संशोधित किया जा सकता है परंतु वित्तीय निविदा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा । चयन न्यूनतम वित्तीय दर (L-1) के आधार पर होगा ।

.....2

(6) निविदा में सामग्री के जो स्पेसिफिकेशन दिये गये है वे अब महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निविदा में बदल दिये गये हैं ।

निर्णय – निविदा के परिशिष्ट 6 बिंदु क्रमांक 2 पर स्पष्ट किया गया है कि यह वर्तमान रेसिपी है, तथा इस में समान या अन्य रॉ–मटेरियल के आधार पर सामग्री की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है तथा संयंत्र को इस प्रकार डिजाइन किया जाना है कि PLC Automation से ही परिवर्तन संभव हो सके तथा किसी प्रकार के मैकेनिकल परिवर्तन की आवश्यकता न हो ।

2. मेसर्स जैनम फूड एवं वर्क्स प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., इंदौर –

संभावित निविदाकार की ओर से श्री योगेन्द्र मंडलोई उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा Eligibility Criteria में Roaster and Mixer Cooler के निर्माताओं को भी उल्लेखित उपकरणों की सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।

निर्णय – परिशिष्ट 7 के बिंदु क्रमांक 4 में निविदाकर्ता को विभिन्न 5 सामग्रियों का निर्माता होना आवश्यक रखा गया है तथा बिंदु क्रमांक 5 में जो टर्नओवर संबंधी शर्त रखी गई है, उसमें रोस्टर तथा मिक्सर कूलर को सम्मिलित किया जा सकता है ।

3. मेसर्स जे.वी.एस.एक्समपोर्ट, जयपुर –

संभावित निविदाकार की ओर से श्री पुष्पेन्द्र कुमावत उपस्थित हुये । संभावित निविदाकार द्वारा Eligibility Criteria के बिंदु क्रमांक 5 के संबंध में निम्न परिवर्तन प्रस्तावित किये है –

(1) "The bidder should have an average turnover of Rs. 500 lac for last 3 financial year (FY- 14-15, FY 15-16, FY 16-17)"

वर्तमान में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रू. 100 लाख एवं 3 वर्ष ((FY- 14-15, FY 15-16, FY 16-17)) का औसत रू. 5 करोड़ का टर्नओवर चाहा गया है।

निर्णय–टर्नओवर संबंधी शर्त में कोई परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है ।

(2) परिशिष्ट 1 में स्थापित किये जाने वाले संयंत्र के संबंध में विस्तृत विवरण दिया गया है । निविदाकार Improved Machines एवं Optimum Output के संबंध में टेंडर में दिये गये मशीनों में आवश्यकत संशोधन किये जा सकते हैं या नहीं के संबंध में जानकारी चाही है ।

निर्णय –परिशिष्ट 5 में डिजाइन एवं लेआउट के संबंध में सभी बातें स्पष्ट की गई है ।

4. **मेसर्स सर्वोटेक इंडिया लिमि., मुम्बई –**

संभावित निविदाकार की ओर से श्री संजय जाजू उपस्थित हुये । उनके द्वारा बैंक गारंटी एवं भुगतान की शर्तों के संबंध में संशोधन चाहा गया है।

(1) संयंत्र स्थल पर सभी सामग्रियां प्राप्त होने पर कुल ऑर्डर वैल्यू का 50 प्रतिशत के बराबर (सभी मशीने प्रदाय करने की दशा में) भुगतान का उल्लेख है तथा ट्रायल रन के पश्चात शेष 25 प्रतिशत भुगतान एवं 50 प्रतिशत की बैंक गारंटी लौटाने का प्रावधान है। निविदाकार चाहते है कि सभी सामग्री प्रदाय करने पर 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाये एवं बैंक गारंटी भी लौटा दी जाये । इसके पश्चात भी निगम के पास 10 प्रतिशत की बैंक गारंटी एवं 10 प्रतिशत भुगतान शेष रहेगा ।

निर्णय –भुगतान संबंधी शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है ।